

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 1095 / 2015

संस्थापित दिनांक 02 / 12 / 2015

फाइलिंग नं. 230303016112015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. रामकिशन जाटव पुत्र बाबूलाल उम्र 26 वर्ष
निवासी ग्राम आलौरी तह0 गोहद जिला भिण्ड
2. बाबूलाल जाटव पुत्र दिलीप जाटव उम्र 60 वर्ष
निवासी ग्राम आलौरी तह0 गोहद जिला भिण्ड
3. श्रीमती भारती पत्नि रूस्तम सिंह उम्र 35 वर्ष
निवासी लहचूरे का पुरा थाना मालनपुर जिला भिण्ड
4. श्रीमती शरबती पत्नि बाबूलाल जाटव उम्र 58 वर्ष
निवासी ग्राम आलौरी तह0 गोहद जिला भिण्ड
5. विजयसिंह पुत्र बाबूलाल जाटव उम्र 30 वर्ष
निवासी ग्राम आलौरी तह0 गोहद जिला भिण्ड
6. श्रीमती लक्ष्मी पत्नि रमेश जाटव उम्र 27 वर्ष
निवासी ग्राम चिनकूपुरा थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 ।

अभियुक्तगण

.....
(अपराध अंतर्गत धारा- 498 ए भा0दं0सं0 एवं धारा 3 एवं 4 द0प्र0अ0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ- श्री प्रवीण सिकरवार)
(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता-श्री जी एस निगम)

.....
:- निर्णय :-

(आज दिनांक 17.05.2017 को घोषित)

आरोपीगण पर दिनांक 27.07.15 एवं उसके पूर्व से ग्राम आलौरी में फरियादिया सरस्वती के पति/नातेदार होकर फरियादिया सरस्वती से दहेज में पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग करने तथा मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया सरस्वती को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित करने एवं फरियादिया सरस्वती से दहेज में पचास हजार रुपये तथा मोटरसाइकिल की मांग करने एवं फरियादिया सरस्वती को दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित करने हेतु भा0दं0स0 की धारा 498ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादिया सरस्वती के पति रामकिशन, सास शरबती, ससुर बाबूलाल, देवर विजय, ननद भारती एवं लक्ष्मी आदि मिलकर उसकी मारपीट करते थे एवं उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। फरियादिया की शादी को दो वर्ष हो चुके हैं। आरोपीगण फरियादिया से पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग करते थे तथा मांग पूरी न होने पर उसे जान से मारने की धमकी देते थे। आरोपीगण फरियादिया को कम दहेज लाने का ताना देते थे। फरियादिया सरस्वती ब्लक कैसर से पीड़ित है। उसके एक साल की बच्ची भी है। आरोपीगण ने फरियादिया को मारपीट कर घर से निकाल दिया है। उक्त संबंध में फरियादिया ने पूर्व में भी महिला थाना पडाव में आवेदन दिया था तो वहां पर समझौता हो गया था। फरियादिया अब कोई समझौता नहीं करना चाहती है तथा आरोपीगण के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही चाहती है। फरियादिया द्वारा घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को लेखीय आवेदन दिया गया था उक्त आवेदन के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध महिला थाना ग्वालियर में अ0क्र0 0/13 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था तत्पश्चात उक्त प्रकरण में क्षेत्राधिकार थाना गोहद जिला भिण्ड को होने से उक्त प्रकरण थाना गोहद जिला भिण्ड को अंतरित किया गया था तत्पश्चात पुलिस थाना गोहद में आरोपीगण के विरुद्ध अ0 क्र0 294/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

4. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 21.07.15 एवं उसके पूर्व से ग्राम आलौरी में फरियादिया सरस्वती के पति/नातेदार होकर फरियादिया सरस्वती से दहेज में पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग की एवं मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया सरस्वती को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की?
2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया सरस्वती से दहेज में पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग की एवं फरियादिया सरस्वती को दहेज

देने के लिए दुष्प्रेरित किया?

5. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादिया सरस्वती अ0सा01, रामसेवक अ0सा02, एस आई प्रेमलता तिवारी अ0सा03, मीरा अ0सा04 एवं एस आई एन एल शाक्य अ0सा05 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न कमांक 1 एवं 2

6. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादिया सरस्वती अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसकी शादी वर्ष 2012 में आरोपी रामकृष्ण उर्फ गुरजीत के साथ हुई थी। बाबूलाल उसका ससुर, शरबती उसकी सास, भारती और लक्ष्मी उसकी ननद तथा विजय उसका देवर है। शादी के बाद वह एक साल अपनी ससुराल में ठीक से रही थी। उसके बाद उसके बच्ची हुई थी तो वह बीमार हो गई थी उसकी बच्ची दो तीन दिन की थी तभी उसके सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया था फिर वह अपने मायके चली गई थी। मायके में उसका पति गुरजीत आया था उसके पति ने कट्टे से खुद को गोली मार ली थी फिर वह और उसके माता-पिता गुरजीत को अस्पताल लेकर गए थे गुरजीत का इलाज कराया था। उसके बाद पडाव थाने में उसने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट की थी उस रिपोर्ट में उसका समझौता हो गया था तो वह फिर से अपनी ससुराल चली गई थी फिर वह छः माह तक अपनी ससुराल में रही थी। छः माह बाद उसकी बहन ज्योति की शादी थी। तो वह अपनी बच्ची के साथ मायके आई थी। ज्योति की विदाई के बाद उसके पति गुरजीत ने उसे ससुराल चलने के लिए कहा था फिर वह बच्ची को लेकर चला गया था उसके घरवाले थोड़ी दूर से बच्ची एवं गुरजीत को वापिस लेकर आए। फिर उसके दोनों नंदोई मायके आए थे और उन्होंने कहा था कि अब तुम्हें नहीं ले जाएंगे उसके एक नंदोई का नाम रमेश है दूसरे का नाम उसे याद नहीं है। फिर उसके पति ने उसके खिलाफ गोहद थाने में रिपोर्ट कर दी थी इसके बाद उसने आरोपियों के विरुद्ध दहेज एक्ट लगा दिया था। इसका आवेदन प्र0पी01 जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट प्र0पी02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने महिला थाना पडाव में रिपोर्ट की थी उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि आरोपीगण उसकी मारपीट करते थे एवं उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे तथा यह भी स्वीकार किया गया है कि आरोपीगण उससे पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग करते थे एवं मांग पूरी न होने पर आरोपीगण उसे जान से मारने की

धमकी देते थे उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था।

8. प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसकी शादी दिनांक 29.08.12 को हुई थी फिर कहा उसे शादी की दिनांक याद नहीं है उसकी बहन ज्योति की शादी उसकी शादी के लगभग तीन वर्ष बाद वर्ष 2015 में हुई थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी शादी होने के बाद और ज्योति की शादी होने तक वह अपने पिता के घर आती जाती रही थी तब तक उसके साथ कोई घटना घटित नहीं हुई थी। इसके तुरंत पश्चात ही उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि तब तक दो तीन बार घटना घट चुकी थी। आरोपीगण ने उसे वर्ष 2014 में घर से निकाल दिया था उक्त संबंध में उसने गोहद थाने में रिपोर्ट की थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त रिपोर्ट की प्रति उसने प्रकरण में पेश नहीं की है। पद क्र० 5 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने कथन कर गोहद थाने में रिपोर्ट वर्ष 2014 में की थी दूसरी बार उसने पड़ाव थाने में रिपोर्ट की थी। पद क्र० 6 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उससे किसी ने पूछा नहीं था इसलिए उसने न्यायालय में आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली नहीं बताई थी।

9. साक्षी रामसेवक अ०सा०2 एवं मीरा अ०सा०4 ने भी फरियादिया सरस्वती अ०सा०1 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपीगण द्वारा फरियादी सरस्वती से दहेज की मांग करने एवं मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया सरस्वती की मारपीट किये जाने बावत् प्रकटीकरण किया है।

10. एस आई प्रेमलता तिवारी अ०सा०3 ने प्र०पी०2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है एवं एस आई एन एल शाक्य ने विवेचना को प्रमाणित किया है। तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादिया सरस्वती अ०सा०1 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि शादी के बाद वह एक साल तक अपनी ससुराल में ठीक तरह से रही थी। बच्ची पैदा होने के बाद वह बीमार हो गई थी। बच्ची पैदा होने के दो तीन दिन बाद ही उसके सास-ससुर ने उसे घर से निकाल दिया था फिर वह मायके आ गई थी। उसका पति गुरजीत मायके आया था। वहां पर गुरजीत ने कट्टे से खुद को गोली मार ली थी फिर उसके माता-पिता ने गुरजीत का इलाज करवाया था परंतु उक्त सभी बातें फरियादिया सरस्वती अ०सा०1 द्वारा अपने आवेदन प्र०पी०1 एवं रिपोर्ट प्र०पी०2 में नहीं बताई गई है। फरियादिया सरस्वती अ०सा० 1 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उक्त घटना के बाद उसने पति के खिलाफ पड़ाव थाने ग्वालियर में रिपोर्ट की थी। उस रिपोर्ट में उसका समझौता हो गया था फिर वह ससुराल चली गई थी। फिर वह छः माह तक अपनी ससुराल में रही थी। छः माह बाद वह अपनी बहन ज्योति की शादी में मायके आई थी तो विदाई के बाद गुरजीत उसकी बच्ची को लेकर चला गया था फिर उसके दारवाले बच्ची और गुरजीत को वापिस लेकर आए थे। फिर उसके दोनों नंदोई मायके आए थे और

उन्होंने कहा था कि अब तुम्हें नहीं ले जाएंगे। उसके पति ने उसके खिलाफ गोहद थाने में रिपोर्ट की थी फिर उसने आरोपीगण के विरुद्ध दहेज एक्ट लगा दिया था परंतु यह बात कि ज्योति की शादी के बाद गुरजीत उसकी बच्ची को लेकर चला गया था एवं उसके दोनों नंदोई ने मायके आकर उसे ससुराल ले जाने से मना किया था। फरियादिया सरस्वती अ0सा01 द्वारा अपने आवेदन प्र0पी01 एवं पुलिस रिपोर्ट प्र0पी02 में नहीं बताई गई है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण उससे पचास हजार रुपये व मोटरसाइकिल की मांग करते थे तथा मांग की पूर्ति न होने पर उसकी मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते थे।

12. इस प्रकार फरियादिया सरस्वती अ0सा01 के कथनों से यह दर्शित है कि फरियादिया सरस्वती अ0सा01 द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहीं भी आरोपीगण द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाली बात नहीं बताई गई है। फरियादिया सरस्वती अ0सा01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह नहीं बताया है कि आरोपीगण उससे पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल दहेज में लाने के लिए कहते थे। यद्यपि जब उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित किया गया है तब उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपीगण उससे दहेज की मांग करते थे परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि फरियादी सरस्वती अ0सा01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली बात नहीं बताई है यदि वास्तव में आरोपीगण द्वारा फरियादिया सरस्वती से पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग की जाती तो यह बात फरियादिया सरस्वती द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में अवश्य बताई जाती। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी सरस्वती अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्र06 में यह भी बताया है कि उससे किसी ने पूछा नहीं था इसलिए उसने आरोपीगण पर दहेज मांगने वाली बात नहीं बताई थी। फरियादी सरस्वती अ0सा01 के उक्त कथन से यही दर्शित होता है कि उसने अभियोजन द्वारा पूछे जाने पर मात्र उक्त सुझाव को स्वीकार किया है। यदि वास्तव में आरोपीगण ने सरस्वती से दहेज की मांग की होती तो यह बात फरियादिया सरस्वती अपने मुख्य परीक्षण में अवश्य बताती परंतु फरियादिया सरस्वती अ0सा01 द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में आरोपीगण द्वारा दहेज की मांग किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं दिया गया है यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

13. फरियादिया सरस्वती अ0सा01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में जो तथ्य बताये हैं। उन तथ्यों का उल्लेख स्वयं फरियादिया सरस्वती के आवेदन प्र0पी01 एवं पुलिस रिपोर्ट प्र0पी02 में नहीं है। फरियादिया द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में प्र0पी01 के आवेदन एवं प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से पूर्णतः भिन्न कथन किए गए हैं यह तथ्य भी फरियादिया के कथनों को अविश्वसनीय बना देता है।

14. फरियादिया सरस्वती अ0सा01 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसके पति ने उसके विरुद्ध गोहद थाने में रिपोर्ट की थी इसके बाद उसने आरोपीगण के विरुद्ध दहेज एक्ट

लगा दिया था। इस प्रकार फरियादिया सरस्वती अ0सा01 के उक्त कथन से यही दर्शित होता है कि फरियादिया सरस्वती ने आरोपी गुरजीत द्वारा की गई रिपोर्ट से क्षुब्ध होकर आरोपीगण के विरुद्ध दहेज मांगने की रिपोर्ट की थी। फरियादिया के उक्त कथन से भी अभियोजन घटना की सत्यता के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता है।

15. फरियादिया सरस्वती अ0सा01 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसके दोनों नंदोई ने मायके आकर उसे ससुराल ले जाने से मना किया था परंतु इस तथ्य का उल्लेख भी प्र0पी01 के आवेदन एवं प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी फरियादिया सरस्वती अ0सा01 के कथन भी प्र0पी01 के आवेदन एवं प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभासी रहे हैं। यह तथ्य भी अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है।

16. साक्षी रामसेवक अ0सा02 जो कि फरियादिया सरस्वती का पिता है, ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसकी लड़की शादी के वक्त आठ दिन ससुराल में रही थी। इसके बाद पंद्रह दिन के लिए मायके आई थी फिर वह दो तीन महीने तक ससुराल में रही थी इसके बाद जब वह मायके आई थी तो उसने आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली बात उसे बताई थी। इस प्रकार साक्षी रामसेवक अ0सा02 के कथनानुसार आरोपीगण शादी के बाद दो तीन महीने के अंदर ही फरियादिया सरस्वती से दहेज की मांग करने लगे जबकि फरियादिया सरस्वती अ0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि शादी के बाद वह एक साल तक अपनी ससुराल में ठीक तरह से रही थी उसके बच्ची पैदा होने के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर साक्षी रामसेवक अ0सा02 के कथन फरियादिया सरस्वती अ0सा01 के कथन से विरोधाभासी रहे हैं। जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

17. साक्षी मीरा अ0सा04 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि शादी के दो वर्ष बाद तक उसकी लड़की सरस्वती ससुराल आती जाती रही थी तब तक उसकी लड़की ने उसे दहेज के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। उसकी लड़की ने उसके अलावा अन्य किसी को दहेज मांगने वाली बात नहीं बताई थी जबकि साक्षी रामसेवक अ0सा02 का कहना है कि उसकी लड़की सरस्वती ने शादी के दो तीन महीने के अंदर ही उससे आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली बात बताई थी एवं फरियादिया सरस्वती अ0सा01 का कहना है कि वह शादी के बाद एक साल तक अपनी ससुराल में ठीक तरह से रही थी इस प्रकार फरियादिया सरस्वती अ0सा01 रामसेवक अ0सा02 एवं मीरा अ0सा04 के कथन से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान विरोधाभासी रहे हैं यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

18. यहां यह उल्लेखनीय है कि भा0दं0सं0 की धारा 498ए का अपराध घर के अंदर होने वाला अपराध है। अतः उक्त अपराध में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य स्वयं फरियादिया की होती है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादिया सरस्वती अ0सा01 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। फरियादिया सरस्वती अ0सा01 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनों में

प्र0पी01 के आवेदन एवं प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से पूर्णतः भिन्न कथन किए गए हैं। फरियादिया द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह नहीं बताया गया है कि आरोपीगण उससे दहेज की मांग करते थे एवं प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि उससे किसी ने पूछा नहीं था इसलिए उसने दहेज मांगने वाली बात नहीं बताई। फरियादिया सरस्वती द्वारा स्वयं आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली बात नहीं बताई है। उक्त साक्षी ने मात्र उक्त बिंदु पर अभियोजन के सुझावों को स्वीकार किया है एवं यह भी व्यक्त किया है कि जब उसके पति ने उसके खिलाफ गोहद थाने में रिपोर्ट कर दी थी तब उसने आरोपीगण के विरुद्ध दहेज एक्ट लगा दिया था। फरियादी के उक्त कथन से यही दर्शित होता है कि आरोपीगण द्वारा फरियादिया से दहेज की मांग नहीं की गई है बल्कि फरियादिया ने उसके पति द्वारा उसके विरुद्ध की गई रिपोर्ट से क्षुब्ध होकर आरोपीगण के विरुद्ध यह अपराध पंजीबद्ध कराया है। फरियादिया सरस्वती अ0सा01 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। फरियादिया सरस्वती अ0सा01 के कथन प्र0पी0 1 के आवेदन एवं प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी विरोधाभासी रहे हैं। ऐसी स्थिति में फरियादिया सरस्वती अ0सा01 के कथन विश्वास योग्य नहीं हैं एवं फरियादिया के कथनों से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने फरियादिया सरस्वती से पचास हजार रुपये एवं एक मोटरसाइकिल की मांग की थी एवं फरियादिया को दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित किया था। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

19. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।

20. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 27.07.15 एवं उसके पूर्व से ग्राम आलौरी में फरियादिया सरस्वती के पति/ नातेदार होकर फरियादिया सरस्वती से दहेज में पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग की तथा मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया सरस्वती को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरता कारित की एवं फरियादिया सरस्वती से दहेज में पचास हजार रुपये तथा मोटरसाइकिल की मांग की एवं फरियादिया सरस्वती को दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित किया। अतः यह न्यायालय आरोपी रामकिशन उर्फ गुरजीत बाबूलाल, श्रीमती भारती, श्रीमती शरबती, विजय उर्फ विजय सिंह एवं श्रीमती लक्ष्मी को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें भा0दं0स0 की धारा 498 ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 एवं 4 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

21. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं। उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

22. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 17-05-2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)